अपील सूचना अधिकार संख्या 53/2017 अनवानी वेदप्रकाश जोशी निवासी पूजा कालोनी गली न0–2, श्रीगंगानगर बनाम तहसीलदार, श्रीगंगानगर

31–07–2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री वेदप्रकाश जोशी उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री वेदप्रकाश जोशी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 06.04.17 के द्वारा तहसीलदार, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:–

> चक 2 एमएल के मुरब्बा न0 57, 58 मास्टर प्लान (2001–2023) में यह जमीन सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र में है। मौजूदा यह जमीन किस के नाम पर है वह कब से है? पूर्ण जानकारी दी जाये अगर इसका बेचान हुआ है तो इसकी रजिस्ट्री की फोटो कॉपी दी जाये।

अपीलार्थी ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 06.04.17 के द्वारा तहसीलदार, श्रीगंगानगर से सूचना चाही थी एक माह से अधिक का समय होने पर भी उनके द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है और न ही कोई प्रत्युतर दिया गया है। इसलिए उसके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाये जाने का आदेश दिया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर तहसीलदार (भू.अ.) श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 4297 दिनांक 23.06.17 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में उनके कार्यालय के पत्र सं0 2702 दिनांक 23.6.17 के द्वारा सूचित किया जा चुका है जो निम्नानुसार अपीलार्थी को सूचित किया है:–

> उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह सूचना चाही गई है कि चक 2 एमएल मु.न. 57 व 58 वर्तमान में किसके नाम से है व कब से है? सूचना के सन्दर्भ में यह है कि आपकी सूचना प्रश्नवाचक होने के कारण सूचना के अधिकार के तहत उपलब्ध नही करवाई जा सकती। आप नियमानुसार प्रतिलिपि शुल्क जमा करवाकर पटवार मण्डल 2 एमएल के कार्यालय से किसी भी रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते है।

अपीलार्थी के सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

इस प्रकार तहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर दि0 07.04.2017 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

15656
18-8-17

आदेश आज दिनांक 31.07.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर